

कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद।

(जिला नजारत शाखा)

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव कार्तिक छठ मेला, 2017 का आयोजन दिनांक 25.10.2017 से 27.10.2017 तक होना संभावित है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं मेला में आने वाले व्रतियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त टेंट, पंडाल, वाच टावर, बैरिकेडिंग, कुर्सी इत्यादि विभिन्न सामग्रियों का दर निर्धारण हेतु निबंधित फर्म/आपूर्तिकर्ता/सक्षम एजेन्सियों से द्वि-लिफाफा प्रणाली के तहत निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। एतदर्थ निविदा दिनांक- ~~15.09.17~~ के अपराहन 03:00 बजे तक निबंधित डाक अथवा हाथों-हाथ जिला नजारत प्रशाखा समाहरणालय, औरंगाबाद में जमा किया जा सकता है तथा उसी दिन 04:00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में कय समिति के समक्ष निविदा निविदादाता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायगी।

सामग्रियों का विवरण:-

क्र०	सामग्री का नाम	दर प्रति Sq.Ft./प्रति अदद (सभी अनुमान्य कर सहित)		
		प्रथम दिन	दूसरा दिन	तीसरा दिन से लगातार
1	2	3	4	5
1	प्लास्टिक कुर्सी			
2	वी0आई0पी0 कुर्सी			
3	टेबुल, (टेबुल क्लॉथ के साथ)			
4	सोफा			
5	सिलिंग/स्टैण्ड पंखा			
6	तोरण द्वारा			
7	कनात 6' x 15' एवं 10' x 15'			
8	दरी			
9	तोशक			
10	कंबल			
11	मच्छरदानी			
12	नन-वाटर प्रूफ पंडाल			
13	समियाना			
14	कारपेट			
15	वाच टावर			
16	बैरिकेडिंग			
17	बैरियर			
18	जाजीम			
19	मंच (सजावाट सहित)			
20	वीडियोग्रफी			
21	हैलोजन लाईट			
22	मरकरी,			
23	मैटल लाईट			
24	हैवी माईक सेट कोडलेस एवं साउन्ड बॉक्स के साथ			
25	फोल्डिंग खाट			
26	जेनरेटर ईंधन सहित- 5,10,15,20,25 एवं 62 के0वी0ए0			

निविदा की शर्त :-

1. निविदादाता को तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग- अलग लिफाफा में देना होगा।
2. निविदादाता को आयकर/जी0एस0टी0 के अधीन निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
3. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. चरित्र प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता काली सूची में दर्ज नहीं है, का शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद नाम से ₹10000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
8. निविदा में स्थानीय फर्म/आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायगी।
9. निविदा को बिना कारण बताये भी रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।